

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
..... नर्बदा बाई बनाम ओम प्रकाश

किस्म मुकदमा : 53, 88, 188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या 93 / 16.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
09-05-2018	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। वादीगण द्वारा अपना वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली, ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 815 एवं 1039 किता 2 रकबा 4.15 के पक्षकारान का सहखातेदार है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि उक्त भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली जब 5-6 वर्ष का था, तब से ही घर से लापता हो गया था, जो अविवाहित था, जिनके कोई सन्तान आदि नहीं थी। अब चूंकि अन्य सहखातेदार किशनलाल पुत्र धन्ना, जाति की मृत्यु हो चुकी है, तो अब किशनलाल के वारिसान चाहते हैं कि सहखातेदार भागचन्द के लापता हो जाने के आधार पर प्रकरण की सम्पूर्ण विवादित आराजी में से भागचन्द के हिस्से की आराजी भी किशनलाल पुत्र धन्ना के वारिसान के ही खाते दर्ज कर दी जावे। प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये जवाब दावा में वादपत्र के सभी कथन स्वीकार कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन किया इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान, विवादित आराजी के अन्य सहखातेदार भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली का हिस्सा भी स्वयं के नाम करवाकर अपना अपना हिस्सा पृथक करवाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्व अभिलेख की प्रतियां पेश की हैं परन्तु सहखातेदार भागचन्द पुत्र धन्ना के लापता होने सम्बन्धी कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा भागचन्द पुत्र धन्ना के लापता होने की रिपोर्ट दिनांक 13.05.2016 को जर्ने रजिस्टर्ड डाक से थानाधिकारी, मण्डाना को पेश की गई है किन्तु इस रिपोर्ट पर होने वाली किसी भी अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई विकल्प आदि पेश नहीं किया गया है।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में प्रकरण की वास्तविकता के तथ्यों की जानकारी हेतु वर्तमान सरपंच तथा शिविर में उपस्थित ग्रामवासियान से भागचन्द पुत्र धन्नालाल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसमें एक ग्रामवासी द्वारा यह तक भी बताया गया कि कुछ समय पूर्व भी भागचन्द के वारिसान गांव आये थे। तदुपरान्त, सम्बन्धित पटवारी हल्का से भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। इसके अन्तर्गत हल्का पटवारी द्वारा अवगत कराया कि "ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि भागचन्द वर्तमान में मौजूद नहीं है। उसकी अजमेर में मृत्यु हो चुकी है तथा उसका परिवार वर्तमान में अजमेर में ही निवास करता है। भागचन्द लगभग 60-70 वर्ष पूर्व अजमेर चला गया था तथा कभी कभी ही किसी रिश्तेदार वगैरहा की मृत्यु होने पर ही ग्राम रांवठा में आता जाता था। उसके परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी उनके रिश्तेदारों को हो सकती है।"</p>	

आदेश की दिनांक	आदेश या कार्यवाही का विवरण	क्रमांक/दिनांक जो आदेश की पालना में जारी हुये
	<p>हमने हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट एवं ग्रामवासियान के कथनों पर मनन किया। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के समस्त पक्षकारान द्वारा विवादित आराजी में भागचन्द पुत्र धन्ना के हिस्से को हडपने के उद्देश्य मात्र से आपसी मिलीभगत करके यह वाद पेश किया, जो प्रतिवादी द्वारा वादीगण के समर्थन में दिये गये जवाब दावा से स्वतः ही सिद्ध हो रहा है। वादीगण की ओर से भागचन्द पुत्र धन्ना के लापता होने की सूचना, वाद पेश करने की पूर्व तैयारी स्वरूप दिनांक 13.05.2016 को जर्जे रजिस्टर्ड डाक सम्बन्धित थानाधिकारी को भिजवाई गई जबकि उनके द्वारा सहखातेदार भागचन्द को 65-70 वर्ष पूर्व लापता होना अंकित किया है। इस प्रकार उनके द्वारा इस तथ्य के विरुद्ध भी कोई ठोस प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किये गये कि उनके द्वारा भागचन्द के लापता होने की सूचना वाद पेश करने के तत्काल पहले क्यों दी। प्रकरण के पक्षकारान द्वारा न केवल थानाधिकारी, मण्डाना को झूठी रिपोर्ट पेश की बल्कि झूठे, अपूर्ण और मनगढन्त तथ्य पेश करके न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया, जो की न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। इससे न्यायालय के समय व श्रम का अनावश्यक व्यय हुआ है। अतः वादीगण द्वारा ग्राम रांवठा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 815 एवं 1039 किता 2 रकबा 4.15 हैक्टर में अंकित हिस्से के पक्षकारान के सहखातेदार भागचन्द के लापता होने सम्बन्धी असत्य कथनों व तथ्यों पर आधारित होने के कारण तत्काल प्रभाव से खारिज किये जाने आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। - 9/5/18</p>	